अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक प॰ 15(1) प्राशि/2017 पार्ट 2 जयपुर, दिनांकः- 7 DEC 2017

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय के आहरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) के कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारण के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 11.04.2017 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 8.7 में ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों/संस्था प्रधानों के आहरण एवं वितरण अधिकार व सेवा अभिलेख संधारण एवं अन्य संस्थापन संबंधी अधिकार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को दिये जाने के संबंध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जाने के निर्देश थे।

अतः प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय एवं अन्य भुगतान के आहरण–वितरण तथा सेवा अभिलेख के संधारण किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1.0 पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEOs) के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शैक्षणिक कार्मिकों के वेतन/मानदेय तथा अन्य भुगतान का आहरण–वितरण एवं सेवाभिलेख संधारण–

1.1 **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न बजट मदों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक (प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय), तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक एवं नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक/कार्मिक के वेतन एवं अन्य भुगतान का आहरण–वितरण** सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत पदों के लिए आवंटित बजट से किया जावेगा। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न बजट मदों से वेतन एवं अन्य व्ययों के लिये राशि आहरित करने हेतु बजट मैन्यूअल के पैरा 8.12 के अनुसार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को आहरण